

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

प्रशासनिक आदेश

आदेश दिनांकित 07.05.2020 के अनुक्रम में एतद्वारा सभी विद्वान न्यायिक अधिकारीगण, विद्वान अधिवक्तागण एवं सम्बन्धित कर्मचारीगण को यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी प्रकार के जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण निम्नलिखित **Virtual Court** के माध्यम से उनके सम्मुख अंकित कार्यावधि में संचालित होगा।

1. न्यायालय सत्र न्यायाधीश - प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक।
2. न्याया0 विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)- प्रातः 9.00 बजे से 9.30 बजे तक।
3. न्याया0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)- प्रातः 9.30 बजे से 10.00 बजे तक।
4. न्याया0 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)- प्रातः 10.00 बजे से 10.30 बजे तक।
5. न्याया0 विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट)- प्रातः 11.00 बजे से 11.30 बजे तक।
6. न्याया0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, प्रथम- दोपहर 11.30 बजे से 11.45 बजे तक।
7. न्याया0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, द्वितीय- दोपहर 11.45 बजे से 12.00 बजे तक।
8. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक।

उपरोक्त वर्णित समय सारिणी के अनुसार जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया जायेगा।


माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1093/1091/IV- CPC/e-Courts इलाहाबाद, दिनांकित 07 मई एवं 05 मई 2020 के अनुपालन में उक्त आदेश पारित किया जा रहा है।

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाय व सभी सम्बन्धित न्यायालय को आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करायी जाय तथा **Official Website** पर **Upload** किया जाय।

सभी विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने सभी आवेदनों पर अपना मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें।

दिनांक 08.05.2020

प्रभारी जज न्यायाधीश,
मीरजापुर।


08/5/2020